प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, डूंगरपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स 357/22 दिनांक 10/9/22

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 181 समय 7.05 PM
   (2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 08.09.2022 समय 06.20 पी.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 07.09.2022 समय 07.00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 550 किलोमीटर
   (2) पता – पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
   <u>परिवादी</u>
   (1) नाम : श्री प्रवीण कुमार पटेल
   (2) पिता का नाम : श्री वालजी पटेल
   (3) आयु : 30 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
   (6) व्यवसाय : होटल व्यवसाई
   (7) पताः मु.पो. गणेशपुर, पुलिस थाना दोवडा, जिला डूंगरपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
   1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाथूसिंह, जाति राजपुत, उम्र 53 वर्ष, निवासी पीपलादा पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर हाल एएसआई, पुलिस थाना आसपुर, जिला डूंगरपुर।
   2. श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह शक्तावत, जाति राजपुत, उम्र 32 वर्ष, निवासी चन्दोडा, पुलिस थाना सेमारी, जिला उदयपुर हाल कानिस्टेबल न. 725, पुलिस थाना आसपुर, जिला डूंगरपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	50,000 रूपये	आरोपीगणो द्वारा परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल से कुल 1,40,000 रूपये रिश्वत स्वरूप मांगना व दिनांक 08.09.2022 को 50,000 रूपये परिवादी से आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई द्वारा ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 50,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदयजी,

वाकियात मामला हाजा इस संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.09.2022 को परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल पिता श्री वालजी पटेल निवासी गणेशपुर, जिला डूंगरपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की पेश की कि "मेरे भाई मणिलाल पुत्र डूंगरलाल पाटीदार निवासी खेडा सामोर (मामा का लडका) के खिलाफ आसपुर थाने में तहसील आसपुर में स्टाम्प वैंडर व प्राईवेट कार्य कम्प्यूटर संबंधी करने के दौरान दो केस दर्ज हुए एक केस चालान में गडबडी का था एफआईआर नम्बर 199/2021 हैं। जिसकी जांच सीआई साहब कर रहे हैं व लिखापडी मुंसी विजय पाल सिंह कानि. करते हैं। दुसरा केस मुझ प्रवीण पिता वालजी पटेल निवासी गणेशपुर द्वारा गांव के ही शंकर लाल आदि से जमीन खरीदने पर शंकर के विपक्षी संध्या पत्नी रमेश चन्द्र पण्ड्या और शुभाष आदि द्वारा शंकर के खिलाफ जमीन संबंधित केस में वकालत नामें में हस्ताक्षर करने के संबंध में लेनदेन के संबंध में हैं। जिसकी जांच एएसआई सुरेन्द्र सिंह कर रहे हैं। उक्त दोनों के आसपुर थाने में चल रहे हैं। आसपुर थाने के पुलिसकर्मी विजयपाल सिंह कानि. व सुरेन्द्र सिंह एएसआई लगातार तंग करने पर दिनांक 06.09.2022 को मैने मणीलाल को आसपुर थाने में पेश कर दिया फिर मुझे उक्त दोनों सीआई साहब के ऑफीस में गये जहां सीआई साहब ने मुझे बाहर जाने का कह दिया थोडी देर बाद सुरेन्द्र सिंह व विजयपाल सिंह बाहर आये व मुझे दोनों ने कहा कि गबन वाले केस में मणिलाल के खिलाफ हल्की कार्यवाही करने व मारपीट नहीं करने व मदद करने के ऐवज में 40,000 हजार रूपये रिश्वत् मांगी व दूसरे मुकदमे में कार्यवाही नहीं करने व सिविल नेचर में फाईल बंद कर एफआर लगाने की ऐवज में 1 लाख रूपये की मांग की व धमकाया कि सीआई साहब व डीवाईएसपी साहब को पैसे देने पडते हैं। इसलिए पैसों की व्यवस्था करने की बात कहकर रिश्वत् मांगी। विजयपाल सिंह व सुरेन्द्र सिंह जी ने धमकी दी हैं कि पैसे नहीं दिये तो मणिलाल के खिलाफ मजबुत केस फाईल बनायेंगे व दोनों केस में चालान कर देंगे। मैं सुरेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब व विजयपाल सिंह जी को रिश्वत् नहीं देना चाहता हूँ। उनसे मेरी कोई निजी रंजीश नहीं हैं। कार्यवाही कराने की कृपा करावें"। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो परिवादी ने बताया कि मेरे मामा के लडके श्री मणिलाल एवं मेरे खिलाफ पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर में दर्ज मुकदमों में एक केस में एफआर लगाने एवं दूसरे केस को हल्का करने (रियायत देने) की एवज में श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह कानि. के द्वारा 1,00,000 रूपये एवं 40,000 रूपये कुल 1,40,000 रूपये की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों मेरे से 1,40,000 रूपये रिश्वत् मांग रहे हैं। मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत् राशि लेन–देन का पाया जाने से ब्यूरो कार्यालय में पदस्थापित कानि. श्री धीरेन्द्र सिंह को बुलाकर कार्यालय हाजा के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी। तत्पश्चात कानि. श्री धीरेन्द्र सिंह एवं परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल का आपस में परिचय कराया गया एवं समय करीब 08.00 ए.एम. पर रिश्वत् मांग सत्यापन हेतु परिवादी एवं कानि. को मय डिजीटल टेप रिकार्डर के मुनासिब हिदायत देकर परिवादी की निजी कार से पुलिस थाना आसपुर के लिए रवाना किये गये। उसके बाद समय करीब 1.30 पी.एम पर कानि. श्री धीरेन्द्र सिंह व परिवादी श्री प्रवीण कुमार पाटीदार उपस्थित कार्यालय आये और कानि. श्री धीरेन्द्र सिंह ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को टेप रिकार्डर पेश करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना हो पुलिस थाना आसपुर के पास पहुंच परिवादी को रिश्वत् मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर समय 9.29 एएम पर पुलिस थाना आसपुर के लिए रवाना किया। मैं पुलिस थाने के आस–पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी पुलिस थाने से बाहर आकर मेरे से मिला और टेप रिकार्डर मुझे दिया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख दिया। परिवादी ने बताया कि मैं पुलिस थाने में पहुंचा जहां पर एएसआई श्री सुरेन्द्र सिंह मौजुद मिले जिनसे मैने कहा कि साहब 1,00,000 रूपये तो ज्यादा हैं थोडे कम करों जिस पर एएसआई साहब ने कहा कि डिप्टी साहब नहीं मानेंगे। उसके बाद उन्होने कहा वा जो भी है तु देख ले, विजयपाल सिंह से बात कर। जिस पर मैं विजयपाल सिंह के पास गया तो उसने कहा कि ये तो सीस्टम हैं, सीस्टम से ही होगा। डिप्टी साहब को कुछ देंगे तो ही वो एफआर पर साईन करेंगे। जिसके बाद मुझे श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई ने थोडी देर बाद वापस थाने पर आने को कहा। जिस पर मैने उक्त हालात जरिये दूरभाष श्रीमान् को अवगत कराये। थोडी देर बाद परिवादी को पुनः ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करते हुए समय 10.54 एएम पर

पुलिस थाना आसपुर के लिए रवाना किया। मैं थाने के आसपास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी पुलिस थाने से बाहर आकर मेरे से मिला और टेप रिकार्डर मुझे दिया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख दिया। हम दोनो रवाना होकर आपके पास आये है। जिस पर परिवादी ने भी कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने थाने में जाकर श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई से मिला तो उन्होंने मेरे से रिश्वत मांग के संबंध में 1,00,000 रूपये की मांग की जिस पर मेरे द्वारा निवेदन करने पर उन्होने कहा कि 50,000 रूपये तो डिप्टी साहब के चाहिये और 20,000 रूपये सीआई साहब के चाहिये बाकी हमारे अन्दर बटवारा हो जायेंगा। मुझे तो ज्यादा नहीं 10–15 हजार ही मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा तो 10–15 हजार रूपये ही कम हो सकते हैं इससे कम तो हो ही नहीं सकते क्योकि डिप्टी साहब साईन ही नहीं करेंगें और श्री विजयपाल सिंह कानि. ने बताया कि पैसा दोगे तो ही काम होगा तुम्हारा, तो ही मैनेज होगा। काम होने के बाद ही सबका बटवारा होगा ऐसा नहीं कि पैसा लेके काम नहीं करेंगे आदि वार्ता हुई जिसे मैने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली हैं। जिस पर उपस्थितिन के समक्ष ही टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चला कर सुना गया तो रिश्वत् मांग की पुष्टि हुई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत् राशि पेश करने बाबत् पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं रूपये नहीं लाया हूँ। मैं कल सुबह तक रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को आरोपीगणों को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर लेकर आने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात उक्त कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 08.09.2022 को समय 8.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर को जरिये दूरभाष पाबन्द किया गया एवं अतिरिक्त जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया तथा ब्यूरो कार्यालय के जाप्ते को भी दिनांक 08.09. 2022 को प्रातः 8.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 08.09.2022 को समय करीब 08.30 ए.एम पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री धुलेश्वर डोडियार पुत्र श्री हकराजी डोडियार उम्र 43 वर्ष निवासी घुघरा पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर एवं श्री शैलेष खोकर पुत्र श्री सुखलालजी उम्र 24 वर्ष निवासी मु.पो. वीरपुर तहसील गामडी अहाडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद डूंगरपुर कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर का समस्त जाप्ता कार्यालय उपस्थित हुआ। तत्पश्चात समय करीब 9.एएम पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल ने मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह कानि को रिश्वत में दी जाने वाली 50,000 रूपये की ही व्यवस्था हुई है, वो इतनी रिश्वत राशि मेरे से मांगकर ग्रहण कर लेंगे। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में पूर्व से बैठे दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री धुलेश्वर डोडियार एवं श्री शैलेष खोकर से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी के समक्ष ही श्री धुलेश्वर डोडियार एवं श्री शैलेष खोकर को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने हेतु सहमति चाही गयी तो दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। इसके उपरांत परिवादी द्वारा दिनांक 07–09–22 को पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार करते हुए रिपोर्ट पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात समय करीब 09.20 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाने की अलमारी से निकलवाया गया। जिसमें दिनांक 07–9–22 को परिवादी एवं आरोपीगण के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तायें रिकॉर्ड है जिसमें समय करीब 10.54 एएम पर रिकॉर्डशुदा वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में चलाकर परिवादी एवं दोनों गवाहान को कुछ अंश सुनाई गई तो दोनों गवाहान ने भी आरोपीगणों के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि की। समयाभाव के चलते उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की गई। उसके बाद समय करीब 10.30 ए.एम पर श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि. ब्यूरो, उदयपुर रेंज उदयपुर के निर्देशानुसार श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री करण सिंह हैड कानि. एवं श्री टीकाराम कानि. उदयपुर से इमदाद हेतु उपस्थित कार्यालय हुए। तत्पश्चात समय करीब 10.40 एएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल से आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा

पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री लादूराम हैड कानि. से कार्यालय के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल की जामातलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री धुलेश्वर डोडियार से लिवाई गयी। आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल कानि. के लिए परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री लादूराम हैड कानि. से ही परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री जितेन्द्र कानि. से एक कॉच के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री लादूराम हैड कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपीगण परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेंगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगण ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री लादूराम हैड कानि. से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री लादूराम हैड कानि. से ही मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपीगण के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री जितेन्द्र कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपीगण के मध्य रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वत् राशि के लेन–देन के वक्त आरोपीगण से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री लादूराम हैड कानि को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 11.05 एएम पर परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल के साथ श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. को परिवादी की निजी कार से आसपुर के लिए रवाना किया। परिवादी के पीछे–पीछे कानिगण श्री वीर विक्रम सिंह, श्री महेन्द्र सिंह को सरकारी मोटरसाइकिल के एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक मय श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री धुलेश्वर डोडियार, श्री शैलेष खोकर एवं ब्यूरो जाप्ता श्री करण सिंह हैड कानि., श्री जितेन्द्र कुमार कानि., श्री टीकाराम कानि., एवं श्री नारायण लाल स.प्र.अ. मय लेपटोप, प्रिन्टर मय आवश्यक संसाधन के टेक्सी वाहनों से आसपुर के लिए रवाना हो समय करीब 12.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के आसपुर स्थित बस स्टेण्ड के पास पहुंच परिवादी तथा अपने–अपने वाहनों को रोड के एक तरफ खडा कर श्री धीरेन्द्र सिंह कानि को ब्यूरो टीम के साथ रखकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चालू करने की हिदायत देकर परिवादी को उसकी निजी कार से रिश्वत् राशि लेनदेन हेतु पुलिस थाना आसपुर, जिला डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। परिवादी के पीछे–पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता थाना परिसर के आस–पास पहुंच अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहे। तत्पश्चात कुछ समय बाद परिवादी द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि "आरोपीगण थाने में नहीं हैं। जिनके बारे में मैने पता किया तो वो मेरे मामा के लडके श्री मणिलाल को लेकर उसे पेश करने हेतु ग्राम न्यायालय आसपुर गये हुये हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि ग्राम न्यायालय पहुंच आरोपीगणों से मिले। जिसके कुछ ही

समय बाद परिवादी अपनी कार से पुलिस थाने से बाहर निकलकर ग्राम न्यायालय के लिए रवाना हुआ।" परिवादी के पीछे–पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं हमराहीयान ग्राम न्यायालय आसपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 12.35 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के ग्राम न्यायालय आसपुर के पास पहुंचे जहां परिवादी अपनी कार को एक साईड में खडा कर ग्राम न्यायालय में गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान ग्राम न्यायालय के आसपास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहें। तत्पश्चात समय करीब 01.15 पी.एम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि "मैं ग्राम न्यायालय परिसर में गया जहां पर सीआई साहब श्री सवाई सिंह सोढा, एएसआई साहब श्री सुरेन्द्र सिंह जी मिले। जिनसे मेरी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान ही श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई ने मुझे पुलिस थाना आसपुर पर आकर मिलने के लिए कहा।" जिसके कुछ ही समय पश्चात ग्राम न्यायालय से पुलिस की सरकारी जीप में पुलिस वर्दीधारी बैठे हुए थे। जिनके पीछे–पीछे परिवादी उसकी कार में पुलिस थाना आसपुर की ओर रवाना हुआ। परिवादी की कार के पीछे–पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों के पुलिस थाना आसपुर के लिए रवाना हो कर समय करीब 1.35 पी.एम पर पुलिस जीप के पीछे–पीछे परिवादी ने उसकी कार से पुलिस थाने के मुख्य द्वार से थाने में प्रवेश किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहियान के पुलिस थाना आसपुर के परिसर के बाहर ही पहुंच अपने–अपने वाहनों को रोड के एक तरफ खडा कर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहें। तत्पश्चात इसके तुरन्त बाद परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल ने पुलिस थाना आसपुर से बाहर आकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि "मैं थाने में जाकर एएसआई साहब श्री सुरेन्द्र सिंह से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि तुम्हारे मामा के लडके को जेसी कर दिया हैं। जिसको डूंगरपुर जेल में जमा कराना हैं। जिसके लिए पुलिस थाने के एक कानिस्टेबल को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ जिसको साथ में ले जाकर मणिलाल को डूंगरपुर जेल में जमा कराकर तुम वापस थाने पर आओ। जिस पर मैं मौका मिलते ही आपके पास आया हूँ।" जिस पर उपस्थितिन् के समक्ष ही मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को हिदायत दी गयी कि आरोपीगणों के बताये अनुसार कार्यवाही करने की हिदायत देकर पुलिस थाना आसपुर के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते के पुलिस थाने के आसपास ही टेक्सी वाहन में परिवादी की कार के पुलिस थाने से निकलने के इंतजार में रहे। समय करीब 2.30 पी.एम परिवादी की निजी कार में परिवादी, एक पुलिसकर्मी एवं एक अन्य व्यक्ति पुलिस थाना आसपुर से निकलकर डूंगरपुर की ओर रवाना हुए। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता अपने–अपने वाहनों से परिवादी के पीछे–पीछे डूंगरपुर की ओर रवाना हो परिवादी के पीछे–पीछे डूंगरपुर जेल के पास समय करीब 4.00 पीएम पर पहुंचे। जहां परिवादी की कार डूंगरपुर जेल के पास रूकी। पुलिसकर्मी ने परिवादी के साथ बैठे अन्य व्यक्ति को जेल पर जमा कर पुनः परिवादी एवं पुलिसकर्मी परिवादी की कार से आसपुर के लिए रवाना हुए। उनके पीछे पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे पीछे रवाना हो समय करीब 06.00 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पिछे–पिछे पुलिस थाना आसपुर के परिसर के बाहर पहुंचे। जहां पर परिवादी ने पुलिसकर्मी को बाहर ही उतार कर अपनी कार से पुलिस थाने में गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता अपने–अपने वाहनों को रोड के एक तरफ खडा कर उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहें। तत्पश्चात समय करीब 6.20 पी.एम पर परिवादी ने थाना परिसर में स्थित कार पार्किंग स्थल से ही मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं ब्यूरो टीम की ओर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त निर्धारित ईशारे से हमराहीयान को अवगत करा पुलिस थाना आसपुर के मैन गेट से प्रवेश कर थाना परिसर में स्थित पार्किंग स्थल पर पहुंचे। जहां पर परिवादी एवं एक अन्य व्यक्ति उपस्थित मिला। परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष ही पास ही खडे उक्त व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई साहब हैं, जिन्होंने अभी–अभी मुझसे रिश्वत में ली जाने वाली राशि 50,000 रूपये मांग कर अपने दोनों हाथों से गिनकर ग्रहण कर गिनने के पश्चात अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब में रखे हैं। जिसके बाद मैंने आपको पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर किया। मेरी तथा श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई साहब के मध्य जो वार्ता हुई है उसे मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र

श्री नाथूसिंह जाति राजपुत, उम्र 53 वर्ष, निवासी पीपलादा पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर होना बताया। जिस पर आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई को साथ लेकर थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में पहुंचे। जहां पर उपस्थित पुलिस जाप्ते को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना स्वयं का तथा हमराहीयानों का परिचय देते हुए अपने आने के मंतव्य से अवगत कराया। जिस पर थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह को परिवादी से रिश्वत में ली गयी राशि के बारे में पूछा तो आरोपी कुछ नहीं बोलते हुए मौन रहा। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई से परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने कहा कि गलती हो गई साहब मुझे माफ कर दो। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने स्वतः ही बताया कि मेरे मामा के लडके श्री मणिलाल के विरूद्व पुलिस थाना आसपुर में दर्ज मुकदमों में एफआर लगाने तथा केस को हल्का करने (रियायत देने) की एवज में एएसआई साहब श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री विजयपाल सिंह कानि. ने मेरे से कुल 1,40,000 रूपये रिश्वत स्वरूप मांगे। जिसके बावजूद भी इन्होंने मुझे मुगालते में रखकर मेरे भाई श्री मणिलाल को आज दिनांक को कोर्ट में पेश कर जेसी करा दिया। इस प्रकार मणिलाल के खिलाफ दोनो मुकदमों में सहायता करने की बात को लेकर मेरे से श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई ने 50,000 रूपये मांगकर ग्रहण किये है जो इन्होने अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी साईड की जेब में रखे हैं। जिसके कुछ ही समय में श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं कानि. श्री धीरेन्द्र सिंह आरोपी श्री विजयपाल सिंह को हमराह लेकर थानाधिकारी के कक्ष में लेकर आये और उसे उसी अवस्था में कक्ष में बिठाया। उसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री शैलेष खोकर से आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह की तलाशी लिवाई गई तो उसके पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी साईड की जेब से 500–500 रूपये के कुछ नोट मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री शैलेष खोकर से ही गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये मिले। जिन नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू हुआ। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटों पर सफेद कागज मे सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रक्रियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए टेक्सी वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच की गिलासों को निकलवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनों गवाहान, परिवादी, आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई के पहने हुए पेंट की सामने की बायी साईड की जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की अन्य पेंट मंगवाकर पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर आरोपी को दूसरी पेंट पहनायी गयी। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह की पेंट (जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई) की सामने की बायी साईड की जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेंट की सामने की बायी साईड की जेब को सुखवाकर संबंधितों के

हस्ताक्षर करा पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री विजयपाल सिंह के द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग क्यों की और किसके कहने पर की, के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री विजयपाल सिंह ने कोई जवाब नहीं देकर चुप रहा। आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह का पुलिस थाने में ही कार्यालय कक्ष होने से उनकी तलाशी ली जाना वांछित होने से आरोपीगण की उपस्थिति में ही मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता के आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह के कार्यालय कक्ष की पृथक–पृथक तलाशी ली गयी तो कक्ष में प्रकरण पत्रावलियां रखी हुई मिली। श्री विजयपाल सिंह के कार्यालय कक्ष में रखी पत्रावलियों में अलग–अलग जगह से कुछ संदिग्ध राशि मिली। जिन्हें स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो कुल 22,000 रूपये होना पाया। उक्त मिली संदिग्ध राशि के संबंध मे आरोपी श्री विजयपाल सिंह से पूछा गया तो आरोपी ने कोई युक्तियुक्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया। जिससे उक्त राशि संदिग्ध प्रतीत होने से कब्जे ब्यूरो ली गयी। कार्यवाही के दौरान ही श्री सवाईसिंह सोढा थानाधिकारी, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर मौके पर उपस्थित हुए। जिन्हें परिवादी के मामा के लडके श्री मणिलाल के विरूद्व पुलिस थाना आसपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 199/2021 एवं 67/2022 से संबंधित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियॉ दिनांक 9–9–2022 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर में पेश करने हेतु पाबंद किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 07.50 पी.एम पर पुलिस थाना आसपुर में दर्ज प्रकरणों जिसमें आरोपी श्री विजयपाल सिंह के द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी श्री सवाई सिंह सोढा, पुलिस निरीक्षक है एवं श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई के द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के संबंध में श्री सवाई सिंह सोढा से पूछताछ की गयी तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह के द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांगने की स्वयं को जानकारी नहीं होना बताया। तत्पश्चात समय करीब 08.00 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय करीब 8.25 पीएम पर आरोपी श्री विजयपाल सिंह कानि. के निवास स्थान स्थित गोकुलपुरा आसपुर जिला डूंगरपुर की खानातलाशी ली जाना वांछित होने से श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता श्री नारायणलाल स.प्र.अ., श्री जितेन्द्र कुमार मय आरोपी श्री विजयपालसिंह के टेक्सी वाहन से आरोपी श्री विजयपाल सिंह कानि. के निवास स्थान स्थित गोकुलपुरा आसपुर जिला डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.10 पी.एम पर श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता श्री नारायणलाल स.प्र.अ., श्री जितेन्द्र कुमार मय आरोपी श्री विजयपाल सिंह के आरोपी के निवास स्थान की खानातलाशी ली जाकर पुलिस थाना आसपुर पर उपस्थित आये। फर्द खानातलाशी शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात पुलिस थाना आसपुर पर लोगों की आवाजाही एवं थाना संबंधित राजकार्य के बाधीत होना तथा मौके की कार्यवाही भी शेष नहीं होने से समय करीब 09.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, परिवादी, डिटेनशुदा आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई, श्री विजयपाल सिंह कानि., सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के टेक्सी वाहनों से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के लिए रवाना हो समय करीब 10.15 पी.एम पर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

तत्पश्चात समय करीब 10.30 पी.एम पर दिनांक 07–09–22 को समय 09.29 एएम पर पुलिस थाना आसपुर परिसर में परिवादी एवं आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई व श्री विजयपाल सिंह कानि. के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री जितेन्द्र सिंह कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 09.09.2022 को 01.00 एएम पर दिनांक 07–09–22 को समय 10.54 एएम पर पुलिस थाना आसपुर परिसर में परिवादी एवं आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई व श्री विजयपाल सिंह कानि. के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री जितेन्द्र सिंह कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी

तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 04.00 एएम पर दिनांक 08–09–22 को परिवादी एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री जितेन्द्र सिंह कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 07.00 ए.एम पर दिनांक 08–09–22 को सायं करीब 6.10 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई के मध्य थाना परिसर में आमने सामने हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री जितेन्द्र सिंह कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही में ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड को टेप रिकॉर्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 08.00 एएम पर आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाथूसिंह उम्र 53 वर्ष, निवासी पीपलादा पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भा.द.स. का अपराध प्रमाणित होने से श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये व समय करीब 08.30 एएम पर आरोपी श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह शक्तावत उम्र 32 वर्ष निवासी चन्दोडा पुलिस थाना सेमारी जिला उदयपुर हाल कानिस्टेबल न. 725, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120बी भा.द.स. का अपराध प्रमाणित होने से श्री विजयपाल सिंह कानि. को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 09.00 ए.एम पर आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह कानि. को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र दिये गये। आरोपीगण ने उक्त अपने अपने पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में पृथक से पेश करूगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.30 ए.एम पर पूर्व में पाबंदशुदा श्री सवाई सिंह सोढा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर से उपस्थित कार्यालय होकर पुलिस थाना आसपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 199/2021 एवं 67/2022 की पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतियां एवं रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। जिनको शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात समय करीब 10.00 ए.एम पर आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई के निवास स्थान स्थित पीपलादा जिला डूंगरपुर की खानातलाशी ली जाना वांछित होने से श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई के निवास स्थान ग्राम पीपलादा के लिए रवाना किये गये जो बाद खानातलाशी ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आये। फर्द खानातलाशी शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात उक्त कार्यवाही में मालखाना आर्टिकल, सिलचिटशुदा रिश्वती राशि इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री वीरविक्रम सिंह कानि को दुरूस्त हालात में संभलाये गये। तत्पश्चात परिवादी, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता उदयपुर को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह कानि. का स्वास्थ्य परीक्षण करा परीक्षण रिपोर्ट शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह कानि. को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर में जरिये जे.सी. रिमाण्ड पेश किया गया। जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह एएसआई एवं श्री विजयपाल सिंह कानि. को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया। जिस पर

आरोपीगणो का जे.सी. वारण्ट प्राप्त कर आरोपीगणो को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सामिल पत्रावली की गई।

यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित एक प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी आसपुर श्री सवाई सिंह सोढा हैं, जिसकी लिखापढी आरोपी श्री विजयपाल सिंह कानि. द्वारा की जा रही थी। साथ ही आरोपीगण सुरेन्द्र सिंह एएसआई व कानि. विजयपाल सिंह द्वारा थानाधिकारी कक्ष में थानाधिकारी श्री सवाई सिंह से परिवादी को मिलाना व तदोपरान्त सत्यापन वार्ता में आरोपीगणों द्वारा परिवादी से वार्ता कर परिवादी के पक्ष में मुकदमों में राहत देने व नतीजा पक्ष में देने की एवज में राशि की मांग करना आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री सवाई सिंह थानाधिकारी, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर की भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाथूसिंह उम्र 53 वर्ष, निवासी पीपलादा पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर हाल एएसआई पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर व श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह शक्तावत उम्र 32 वर्ष निवासी चन्दोडा पुलिस थाना सेमारी जिला उदयपुर हाल कानिस्टेबल न. 725, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर द्वारा आपसी मीलिभगत कर षडयंत्र रचकर लोकसेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री प्रवीण कुमार पटेल के ममेरे भाई श्री मणिलाल पिता डूंगरलाल पाटीदार निवासी खेडा सामोर के विरूद्व पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 199/21 में रियायत देने एवं राहत देने का कह कर एवं प्रकरण संख्या 67/22 में एफआर सिविल नेचर में लगाने की एवज में दिनांक 07.09.2022 को 1,00,000 रूपये व 40,000 रूपये इस प्रकार कुल 1,40,000 रूपये की मांग करना व इसी अनुसरण में दिनांक 08.09.2022 को आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 50000 रूपये मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, जो कि जुर्म धारा 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 एवं 120बी आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपीगण श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाथूसिंह उम्र 53 वर्ष, निवासी पीपलादा पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर हाल एएसआई पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर एवं श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह शक्तावत उम्र 32 वर्ष निवासी चन्दोडा पुलिस थाना सेमारी जिला उदयपुर हाल कानिस्टेबल न. 725, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 एवं 120बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(हेरम्ब जोशी)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
डूंगरपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हेरम्ब जोशी, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाथूसिंह निवासी पीपलादा, पुलिस थाना सदर, जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना आसपुर जिला डूंगरपुर एवं 2. श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह शक्तावत निवासी चन्दोडा, पुलिस थाना सेमारी, जिला उदयपुर हाल कानिस्टेबल नं. 725, पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 357/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः 3100-04 दिनांक 10.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।

10.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।